जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 183वीं बैठक दिनांक 30.10.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री अनिल पथारिया, सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री केशर लाल मीणा, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी,वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (III), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री सोहन लाल वर्मा सदस्य नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर
6. श्रीमती उषा जैन, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:–
एजेण्डा संख्या :–1
183/30.10.2012

विषय:– बी.पी.सी.(एल.पी.) **बैठक कमांक** 180 वीं बैठक दिनांक 04.09.012, 181 वीं बैठक दिनांक 18.09.012 व 182 वीं बैठक दिनांक 28.09.012 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में ।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात कार्यवाही विवरणो की पुष्ठि की गई

एजेण्डा विवरण:–
एजेण्डा संख्या :–2
183/30.10.2012 (जोन–6)

विषय:– गुलाब बाडी गृ.नि.स.स. की योजना बृजमण्डल कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 136 क्षेत्रफल 416.0 व.ग. का दो भाग में उपविभाजन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया, कि प्रश्नगत ब्लोक के सभी भखण्डों का अनुमोदित मानचित्र से दर्शायी चौडाई में फर्क है, अतः ब्लॉक के सभी भूखण्डो का सहकारी समिति द्वारा जारी स्थल मानचित्र अनुसार परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार किये जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या :–3

183 / 30.10.2012 (जोन–8)

विषयः–जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना गुलाब विहार के भूखण्ड संख्या एस–30 क्षेत्रफल 100.00 व.ग. का आवंटन करने बाबत् ।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया, कि भखण्ड संख्या एस 30 में से 100 व.ग. का भूखण्ड उपविभाजित किये जाकर निर्धारित नीति को दृष्टिगत रखते हुये जिस प्रकार अन्य भूखण्डधारीयों के मामले में कार्यवाही की गई है, तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही की जावे। भूखण्ड संख्या एस 30 के अधिशेष क्षेत्रफल 38.88 व.ग. को भूखण्ड संख्या एस 29 में पूर्नगठित कर नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या :–4
183 / 30.10.2012 (जोन–9)

विषयः–भूखण्ड संख्या 74 से 77 व 90 से 92 योजना नन्दपुरी बी (अपोलो नगर गृ.नि.स.स) के पुर्नगठन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया, कि प्रस्तावित पुर्नगठन को स्वीकृत किया जावे जिसके पैरामिठर्स भवन विनियम 2010 / 011 के अनुसार रखे जावे । प्रस्तावित पुर्नगठन 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावे।

एजेण्डा संख्या :–5
183 / 30.10.2012 (जोन–11)

विषयः–नीलकण्ठ प्राईम ऐस्टेट प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री लक्ष्मण चौधरी निजी विकास कर्ता द्वारा आवासीय योजना श्री कृष्णा विहार के भूखण्ड संख्या 96 के पुर्नगठन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया, कि प्रस्तावित पुर्नगठित स्वीकृत किया जावे एवं नियमानुसार पुर्नगठन शुल्क लिया जावे ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेंण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–1
183 / 30.10.2012 (जोन–11)
विषयः–आवेदक मैसर्स नागेश्वर डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये सीताराम शर्मा शिव कुमार पुत्र श्री भंवरलाल एवं गुलाब देवी पत्नी सीताराम शर्मा की भूमि पर आवासीय योजना ''श्रीराम सिटी'' अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना नियमानुसार होने के कारण अनुमोदित की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–2
183 / 30.10.2012 (जोन–12)

विषयः—निजी खातेदारी की औद्योगिक योजना ग्राम बगरूरावांन तहसील सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार—विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना नियमानुसार होने के कारण अनुमोदित की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :—3

183 / 30.10.2012 (जोन—14)

विषयः—श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री चिंरजीलाल शर्मा के द्वारा श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि का अनुमोदन कर पट्टा देने एवं पूर्व में जारी लीजडीड को संशोधन करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार—विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी लीजडीड के अतिरिक्त मौके की रिपोर्ट के अनुसार 284.69व.ग. क्षेत्रफल आवेदक के कब्जे में है तथा सहकारी समिति द्वारा वर्तमान में कब्जेशुदा क्षेत्रफल से अधिक का आवंटन किया गया है अतः वर्तमान में कुल कब्जेशुदा क्षेत्रफल को अनुमोदित किया जावे, जिसका संशोधन मूल मानचित्र में भी करवाया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

7.11.2012

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले—आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :— जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / बीपीसी / 2012 / डी— 259

दिनांकः— 7/11/12

प्रतिलिपि :—

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

7.11.2012

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले—आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।